शासनादेश संख्या—89 /अरसठ —3—2018—2041 /2019 दिनांक 11 जनवरी ,2019 एवं संख्या—196/अडसठ -3-2020 -2041/2018 दिनांक 29 जून ,2020 (अंग्रेजी माध्यम प्राथमिक स्तर की पाँच कक्षायें)

dean.

'जला देसिक शिक्षा अधिकारी,

हापुड ।

सेवा में

प्रवस्थिक,

डा० ए० वी० पब्लिक स्कूल.

िल्ली रोड हापुड.

जनपद सापुर ।

/2020-21

दिनांक 3 | | 03 | 202 |

पत्रांकः बेसिक/मान्यता / |५/७|-७ १ विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2009 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण -पत्र।

आपके तारीख 30.09.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिनिर्देशों से एवं जनपदीय मान्यता समिति की बैठक दिनाक 31.03.2021 के कार्यवृत में व्यक्त सहमति के आधार पर, डी० ए० वी० यानेदय / महोदया. पबिलक स्कूल, श्याम नगर, हापुड, जनपद हापुड को तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक सार की पाँच कक्षाओं (अंग्रेजी माध्यम) के लिए औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की सूचना देता हूँ। उपरोक्त मजूरी िम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन हैं-

मान्यता की मंजूरी दिस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई

बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।

58. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा

का अधिकार अधिनियम नियम,2009 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा। 59 विद्यालय कक्षा में (यथारिथति, नर्सरी कक्षा में) तथा प्राथमिक / उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालको को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्थ प्राथमिक / उच्च प्राथमिक शिक्षा , उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।

60. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रति पृरित

किया जायेगा । ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

61. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को

62 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :-

क- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को, विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किरी

कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

ख-किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जायेगा।

ग- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की उपेह

घ- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 कें अधीन अधिकथित किए ग

च-अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा।

छ-अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अहंताओं के साथ की जाती है। घरन्तु र और कि विद्यमान अध्यापक, जिन के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पांच वर्ष की अवधि

ज-अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है। भीतर ऐसी न्यूनतम अहंताए अर्जित करेंगें।

झ- अध्यापक स्वंय को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

63. विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा। 64. विद्यालय अधिनियम की द्यारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के भानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण

सम्बद्धिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :-

Principal D.A.V. Public School Delhi Rond, HAPUR

Manager D. A. V. Public School Delhi Road, HAPUR

4390.00 वर्ग मी0 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल 3300.00 वर्ग मी0 कल निर्मित क्षेत्र उपरोक्त में संम्मिलित कीडा-स्थल का क्षेत्रफल प्राध्यापक -सह-कार्यालय-सह -मांडागर के लिए कक्ष बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय 12 उपलब्ध हैं। मिड-डे -मील पकाने के लिए रसोई उपलब्ध हैं। पेयजल स्विधा बाधा रहित पहुंच

अध्यापन पठन सामग्री /कीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता

65. विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्ते कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।

66. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीडा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के लिए किय

67. विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समः प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रहा है।

68. स्कूल को किसी व्यष्टि ,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।

69. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेंड, अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके प्रमाणित किया जाना चाहिए तथ उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिट शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

70. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करेगा, जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वार अपेक्षित हो और समुचित संस्कार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करेगा, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सता अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

71 सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

72. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

73. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छात्र 9 वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये।

74. विद्यालय में शिक्षण / शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के अनुसार की जाये।

75. निर्धारित प्रारूप पर नियावली में उल्लेखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः 01 वर्ष के लिए दी जायेगी 0 वर्ष के पश्चात मान्यता से सम्बन्धित नियमों / शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी0ई0 के अनुसार विद्यालय चला रहने पर 01 वर्ष के पश्चात विद्यालय को स्थायी मान्यता कर दी जायेगी।

76. यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी की किसी भी माध्यम से यह संज्ञानित होता है कि यह मान्यत प्रबन्धक / विद्यालय द्वारा विभाग से तथ्य गोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व से मान्यता प्रदान की गयी है, त यह मान्यता प्रमाण पत्र स्वतः निर्गत तिथि ये ही निरस्त मांना जायेगा और विभाग / सक्षम अधिकारी, विद्यालय एवं प्रबन्धक व

विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी.

पु०सं० / बेसिक / मान्यता /

/2020-21

तददिनांक

प्रतिलिपिः निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

13. सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।

14. मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरत।

15. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रवित् कि समय-समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते रहें तथा यः सनिश्चित करें। कि विद्यालय द्वारा उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन किया जाय, और यदि उपरोक्त प्राविधानों क सम्यक अनुपालन विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है, तो इसा सम्बन्ध में अविलम्ब आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।

16. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

हापुड।

Principal D.A.V Public School Delhi Road, HAPUH

D. A. V. Public School Delhi Road, HAPUR



## Office of the District Basic Education Officer HAPUR

## CERTIFICATE OF SCHOOL RECOGNITION

1. This is to certify that <u>DAV PUBLIC SCHOOL, DELHI ROAD HAPUR</u> is permanently recognized for Upper Primary(class 6 to 8). The Recognition number alloted to DAV PUBLIC SCHOOL is **14226-30/2020-**

21. The applicable terms and conditions of the recognition	on of your school is annexed.
2. DATE OF ISSUE	10-08-2022(DD/MM/YYYY)
3. Recognition Type	Old
4.School Type	Upper Primary School(6 to 8)
5.Recognition No.	
DATE:- 10-08-2022	District Basic Education Officer
PLACE:- HAPUR	

शासनादेश संख्या—89 / अरसठ —3—2018—2041 / 2019 दिनांक 11 जनवरी ,2019 एवं संख्या—196 / अडसठ —3—2020 —2041 / 2018 दिनांक 29 जून ,2020 (अंग्रेजी माध्यम कक्षा 6 से 8 तक)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड ।

सेवा में.

प्रबन्धक, डी० ए० वी०, पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड, हापुड

जनपद हापुड ।
पत्रांकः बेसिक/मान्यता / 14226 — 30 /2020—21 दिनांक 31/03/2-02/
विषयः निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम ,2009 की घारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2009 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण —पत्र।

महोदय/महोदया,

आपके तारीख 23.09.2020 के आवेदन और इस सम्बन्ध में विद्यालय के सांथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देशों 'से एव मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक '(बेंसिक) के पत्रांक प्रबन्ध / 1996 / 2020—21 दिनांक 30.03.2021 के द्वारा प्रेषित मण्डलीय मान्यता समिति की बैठक दिनांक 30.03.2021 के कार्यवृत में व्यक्त सहमित के आधार पर, में, डी० ए० वी०, पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड हापुड, जनपद हापुड को तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए कक्षा 6 से 8 तक के लिए औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने की सूचना देती हूँ। उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अधीन हैं—

1. मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात मान्यता/संबंधन करने के

लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं हैं।

2. विद्यालय नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 (उपाबन्ध 1) और नि:शुल्क और

अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2009 (उपाबन्ध 2) के उपबन्धों का पालन करेगा।

3. विद्यालय कक्षा में (यथास्थिति, नर्सरी कक्षा में) तथा प्राथमिक/उच्च प्राथमिक कक्षा में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस—पड़ोस के कमजोर वर्गों और सुविधा विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें नि:शुल्क और अनिवार्य प्राथमिक/उच्च प्राथमिक शिक्षा , उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध क्राएगा।

4. पैरा 3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की घारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रति पूरित किया जायेगा । ऐसी प्रति पूर्तियां प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा ।

5. सोसाइटी / विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता — पिता या संरक्षक को किसी स्कीनिंग प्रक्रिया के अध्याधीन नहीं करेगा।

6. विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबन्धों का पालन करेगा । विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा :--

क- प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को,विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक,किसी कक्षा में फेल नहीं किया जायेगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।

ख-किसी भी बालक को शारीरिक दण्ड या मानसिक उत्पीडन के अध्यधीन नही किया जायेगा।

ग— प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की उपेक्षा नहीं की जायेगी।

घ- प्राथमिक शिक्षा तथा उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 कें अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जायेगा।

च-अधिनियम के उपबंध के अनुसार, निशक्तता ग्रस्त / विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जाना।

छ—अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है। परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिन के पास इस अधिनियम के प्रारम्भ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं,पांच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगें।

ज-अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है।

झ- अध्यापक स्वयं को किसी निजी अध्यापन किया कलापों में नियोजित नहीं करेंगें।

7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकृथित पाढ्यव्र्या के आधार पर पाठ्यकम का पालन करेगा।
8. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और सनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार हैं :--

Principal

D.A.V. Public School Delhi Road, HAPUR D A V. Public School

4390.00 वर्ग मी0 3300.00 वर्ग मी0 विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल उपरोक्त में संम्मिलित कुल निर्मित क्षेत्र कीडा-स्थल का क्षेत्रफल प्राध्यापक -सह-कार्यालय-सह -भांडागर के लिए कक्ष 12 बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय उपलब्ध हैं। मिड-डे -मील पकाने के लिए रसोई उपलब्ध हैं। हॉ पेयजल सुविधा

अध्यापन पठन सामग्री /कीड़ा खेलकूद उपस्करों /पुस्तकालय की उपलब्धता

विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई

10. विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजनों के

11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860, (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी

द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोकन्यास द्वारा चलाया जा रही है। 12. स्कूल को किसी व्यष्टि ,व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यक्तियों के लाम के लिए नहीं चलायां जा

13. विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टेड, अकाउटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक

प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।

14. विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित संस्कार /स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता सम्बन्धी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की किमयों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।

15. सोसाइटी के रजिस्ट्रीकृत के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।

17. प्रत्येक कक्षा कक्ष में प्रति छण्त्र ९ वर्ग फुट का स्थान बैठने हेतु आधार मानकर छात्रों का प्रवेश किया जाये। 16. संलग्न उपाबन्ध के अनुसार अन्य कोई शर्त।

18. विद्यालय में शिक्षण/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति भर्ती की नियमावली में निर्धारित की गयी अर्हता के

19. निर्धारित प्रारूप पर नियावली में उल्लेखित प्राविधानों के दृष्टिगत औपबन्धिक मान्यता प्रथमतः 01 वर्ष के लिए दी जायेगी 01 वर्ष के पश्चात् मान्यता से सम्बन्धित नियमों / शर्तों का पुनः परीक्षण किया जायेगा और आर0टी०ई० के

अनुसार विद्यालय चलते रहने पर 01 वर्ष के पश्चात् विद्यालय को स्थायी मान्यता कर दी जायेगी।

20. यदि जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी को किसी भी माध्यम से यह संज्ञानित होता है कि यह मान्यता प्रबन्धक / विद्यालय द्वारा विभाग से तथ्य गोपन कर प्राप्त की गयी है अथवा विद्यालय को पूर्व से मान्यता प्रदान की गयी है, तो यह मान्यता प्रमाण पत्र स्वतः निर्गत तिथि ये ही निरस्त माना जायेगा और विभाग / सक्षम अधिकारी, विद्यालय एवं प्रबन्धक के विरूद नियमानुसार कार्यवाही करने के लिए स्वतन्त्र होगा

> (अर्चना गुप्ता) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, **%**- हापुड।

तददिनांक न्याप्र ।

/2020-21 पृ०सं० / बेसिक / मान्यता / प्रतिलिपिः निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ।

 सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रिषत कि समय-समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते रहें तथा यह सुनिश्चित करें। कि विद्यालय द्वारा उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन किया जाय, और यदि उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है, तो इस सम्बन्ध में अविलम्ब आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।

4. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,

हापुड ।

D.A.V. Public School Qelhi Road, HAPUR

D. A. V. Public School Delhi Road, HAPUR

कार्यालय

जला

बेसिक

शिक्षा

अधिकारी,

पत्रांकः बेसिक / मान्यता /

/2021-22

कार्यालय ज्ञाप

इस कार्यालय के पत्रांक बेसिक / मान्यता / 14121-25 / 2020-21 दिनांक 31.03.2021 के द्वारा डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड हापुड को शासनादेश संख्या-89 /अरसठ -3-2018-2041/2019 दिनांक 11 जनवरी ,2019 एवं संख्या—196/अंडसठ -3-2020 -2041/2018 दिनांक 29 जून ,2020 में निहित प्रविधानों के अन्तर्ग निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए नि:शुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम नियम, 2009 के नियम, 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय को तारीख 01.04.2021 से तारीख 31.03.2022 तक एक वर्ष की अवधि के लिए प्राथमिक स्तर की औपबन्धिक मान्यता प्रदान करने का मान्यता प्रमाण-पत्र निर्गत किया गया था। जिसमें लिपकीय ऋदिवश डी० ए० वी0 पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोड हापुड के स्थान पर डी0 ए० वी0 पबिलक स्कूल, श्याम नगर हापुड टेकित हो

अतः उपरोक्त वर्णित पत्र में विद्यालय का नाम डी० ए० वी० पबिलक स्कूल, श्याम नगर हापुड के स्थान पर डी० ए० वी० पब्लिक स्कूल, दिल्ली रोंड हापुड पढा जाय। शेष यथावत रहेगा, और यह पत्र इस कार्यालय के

पत्रांक बेसिक/मान्यता/14121-25/2020-21 दिनांक 31.03.2021 का पूरक पत्र होगा।

(अर्चना गुप्ता) जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड ।

पृ०सं०/बेसिक/मान्यता/ 1321-2 ५ प्रतिलिपिः निम्नांकित की सेवा में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

/2020-21

तददिनांक

सचिव, उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज ।

मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), प्रथम मण्डल मेरठ।

3. सम्बन्धित खण्ड शिक्षा अधिकारी, को इस निर्देश के साथ प्रषित कि समय-समय पर विद्यालय का निरीक्षण करते रहें तथा यह सुनिश्चित करें। कि विद्यालय द्वारा उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन किया जांय, और यदि उपरोक्त प्राविधानों का सम्यक अनुपालन विद्यालय द्वारा नहीं किया जाता है तो इस सम्बन्ध में अविलम्ब आख्या कार्यालय को प्रेषित करें।

4. कार्यालय प्रति।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हापुड।

D.A.V. Public School Delhi Road, HAPUR

D. A. V. Public School Delhi Road, HAPUR